

अध्याय-2

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु चैक लिस्ट

2.1 वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग व राजस्व विभाग के सहयोग से वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रायः यह देखा गया है कि सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ वांछित सूचनायें संलग्न नहीं की जाती हैं व अधूरा प्रस्ताव नोडल अधिकारी कार्यालय को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जाता है। अधूरा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के कारण भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब होता है, अतः विकास परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि प्रयोक्ता एजेन्सीज के द्वारा पूर्ण/त्रुटिरहित प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा।

2.2 उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली समस्त सूचनाओं/प्रपत्रों की एक समेकित चैक लिस्ट, जिसमें वन भूमि पर प्रस्तावित समस्त प्रयोजनों हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली सूचनाओं/प्रपत्रों का विवरण अंकित है, सारणी-3 में दी जा रही है। विभिन्न प्रयोजनों हेतु अलग-अलग सूचनायें प्रस्ताव में अंकित की जाती हैं व प्रयोजन विशेष के आधार पर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली सूचनाओं की भी अलग-अलग विषय सूचियाँ तैयार की गई हैं।

समेकित चैक लिस्ट

सारणी-3

क्र०सं०	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	प्रतिवेदन	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4 तक	प्रस्तावक/ डी० एफ०ओ०/ अन्य	प्रस्तावक/ डी०एफ०ओ०/ अन्य
3.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	3	प्रस्तावक	—
4.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4	उप-जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
5.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर	5	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०

	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (SIR)			
6.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट मानचित्र।	6	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
7.	डिजिटल मैप व सी0डी0।	7	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
8.	वैकल्पिक संरक्षण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण मय तुलनात्मक विवरण।	8 व 9	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
9.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	10	प्रस्तावक / जिलाधिकारी	प्रस्तावक / जिलाधिकारी / डी0एफ0ओ0
10.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	11 व 11.1	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
11.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक
12.	बार चार्ट।	13	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
13.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	14	समिति	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
14.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण एवं मूल्यांकन/सारांश / वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़।	15 से 15.6 तक	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
15.	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाण-पत्र।	16	वन संरक्षक	वन संरक्षक
16.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	17	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
17.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	17.1	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
18.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण-पत्र।	18	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
19.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र।	19	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
20.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	20	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
21.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	21	प्रस्तावक	प्रस्तावक
22.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	22 से 22.2 तक	प्रस्तावक	प्रस्तावक
23.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	23 से 23.3 तक	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति
24.	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण।	24	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0

25.	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान	25	प्रस्तावक	प्रस्तावक
26.	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	26	भू-वैज्ञानिक	भू-वैज्ञानिक
27.	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	27	प्रस्तावक	प्रस्तावक
28.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
29.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	30	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक
31.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक
32.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
33.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	33	प्रस्तावक	प्रस्तावक
34.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	34	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
35.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	35	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
36.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	36	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
37.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन।	37	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
38.	सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	38	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
39.	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन। (1.00 हे० से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	39	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
40.	पारिषद लाइन के कोरिडोर नीचे बौनी प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन।	40	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
41.	मक डिस्पोजल योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	41	प्रस्तावक/डी० एफ०ओ०	प्रस्तावक/डी० एफ०ओ०
42.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	42	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
43.	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	43	प्रस्तावक	प्रस्तावक
44.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	44	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
45.	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	45	डी०एफ०ओ०/ प्रस्तावक	डी०एफ०ओ०/ प्रस्तावक

46.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का विवरण। (यदि लागू हो)	46	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक
47.	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	47	डी0एफ0ओ0 / उच्चस्तरीय समिति	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक
48.	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।	48	प्रस्तावक	—
49.	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	49	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
50.	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	50	प्रस्तावक	—

नोट :—उक्त समेकित चैक लिस्ट में समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण उल्लिखित है। प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा प्रत्येक प्रयोजन हेतु इंगित प्रपत्रों को ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।